BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 08 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000 - 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. फुरकान पुत्र राशिद निवासी गली नं0-02 खुशहाल नगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ, 2. अफजल उर्फ भूरा पुत्र अनीस उर्फ सलीम नावसी जली कोठी, पप्पू पनवाड़ी वाली गली थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर मोटर साईकिल चोरी व अन्य लूट जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 13.06.2022 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं- 192/2022 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.10.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 08.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. फुरकान, 2. अफजल उर्फ भूरा को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000 – 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर